रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223677
CG-DL-E-12122020-223677

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942**
No. 626]	**NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली ,11 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 757 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा XX द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा comments.morth@gmail.com ; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (....... संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है,

(2) इन नियमों में यथा निहित, ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) -

क. नियम 115 में –

I. उप नियम (18), खंड (i), -

(1) 'सारणी 2' में, "एथेनॉल (E85)/(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंकों के लिए, जहां वे हैं, "एथेनॉल (E20)/(E85)/(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) 'सारणी 2' के अंतर्गत वर्णित 'टिप्पण' में,

(a) क्रम सं.(4) में, "मद (h) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(i) अनुलग्नक IV-SA में यथा-उल्लिखित संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E100) होगा;

(j) संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E20) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार होगा";

(b) क्रम सं. (9) में, "मद (vii) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(viii) वाणिज्यिक एथेनॉल ईंधन (E20) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा";

(c) उप-खंड (20) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(21) E20 या E85 या E100 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के वाहनों की अनुकूलता वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसे वाहनों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा";

II. उप-नियम (18), पैरा (ii) में, उप-खंड (17) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(18) ED95 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के वाहनों की अनुकूलता वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसे वाहनों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा";

III. उप-नियम (19), खंड (i) में, -

(1) 'सारणी 2' में, "एथेनॉल (E85)/(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंकों के लिए, जहां वे हैं, "एथेनॉल (E20)/(E85)/(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) 'सारणी 2' के अंतर्गत वर्णित 'टिप्पण' में,

(a) क्रम सं.(4) में, "मद (h) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(i) संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E20) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार होगा";

(j) संदर्भ हाइड्रोजन संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होगा";

(b) क्रम सं. (5) में, "मद (f) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(g) वाणिज्यिक एथेनॉल ईंधन (E20) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा";

(h) वाणिज्यिक हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होगा";

(c) उप-खंड (13) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(14) सीएनजी/बायो-सीएनजी/एचसीएनजी वाहन एआइएस24 और एआइएस 28 (संशोधन 1) के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे समय-समय पर यथा-संशोधित यथा-अनुप्रयोज्य;

(15) E20 या E85 या E100 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के वाहनों की अनुकूलता वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसे वाहनों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा";

IV. उप-नियम (20) में, -

(1) सारणी 2' में, "एथेनॉल (E85)", कोष्ठक, अक्षर और अंकों के लिए, जहां वे हैं, "एथेनॉल (E20)/(E85)/(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) 'सारणी 2' के अंतर्गत वर्णित 'टिप्पण' में,

(a) क्रम सं. (4) में, "मद (f) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(g) अनुलग्नक IV-SA में यथा-उल्लिखित एथेनॉल ईंधन (E100) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा";

(h) संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E20) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार होगा";

(b) क्रम सं. (5) में, मद (vii) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

"(viii) वाणिज्यिक एथेनॉल ईंधन (E20) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा";

(c) उप-खंड (14) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात.-

"(15) E20 या E85 या E100 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के वाहनों की अनुकूलता वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसे वाहनों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा";

V. उप-नियम (22) में -

(1) सारणी 2' में, एथेनॉल (E85)", कोष्ठक, अक्षर और अंकों के लिए, जहां वे हैं, "एथेनॉल (E20)/(E85)/(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) सारणी 2' के अंतर्गत वर्णित 'टिप्पण' में',

(a) क्रम सं. (7) में, “मद (g) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

“(h) अनुलग्नक IV-SA में यथा-उल्लिखित एथेनॉल ईंधन (E100) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा”;

(i) संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E20) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार होगा”;

(j) संदर्भ हाइड्रोजन संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होगा”;

(b) क्रम सं. (8) में, “मद (f) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित करें, अर्थात.-

“(g) वाणिज्यिक एथेनॉल ईंधन (E20) समय-समय पर संशोधित आईएस 17021: 2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा”;

(h) वाणिज्यिक हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) समय-समय पर संशोधित आईएस 17314: 2019 के अनुसार होगा

(c) उप-खंड (13) के पश्चात, निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात.-

“(14) सी एनजी/बायो-सीएनजी/एचसीएनजी वाहन एआइएस 24 और एआइएस 28 (संशोधन 1) के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे समय-समय पर यथा-संशोधित यथा-अनुप्रयोज्य;

(15) E20 या E85 या E100 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के वाहनों की अनुकूलता वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसे वाहनों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा”;

VI. “अनुलग्नक IV-S [नियम 115-E देखें]” “अनुलग्नक IV-SA [नियम 115 देखें] के रूप में अंकित किया जाना है”

[सं. आरटी-11036/133/2020–एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा. का. नियम 889(अ.) दिनांकित 16 सितंबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक .... की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. .....(अ.) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2020

G.S.R. 757 (E). –The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections XX, of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport, Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments.morth@gmail.com .

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Draft Rules

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules) -

A. In rule 115 –

I. in sub rule (18), clause (i), -

(1) In 'Table 2', for the brackets, letters and figures "Ethanol (E85)/(E100)", wherever they occur, the brackets, letters and figures "Ethanol (E20)/(E85)/(E100)", shall be substituted;

(2) in the 'Notes' given under 'Table 2',

(a) in serial number (4), after the "item(h), insert the following, namely.-

"(i) The reference ethanol fuel (E100) shall be as specified in Annexure IV-SA;

(j) The reference ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018 as amended from time to time ";

(b) in serial number (9), after the "item (vii), insert the following, namely.-

"(viii) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018 as amended from time to time";

(c) after sub-clause (20), insert the following, namely.-

"(21) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker";

II. in sub rule (18), para (ii), after sub-clause (17), insert the following, namely.-

"(18) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of ED95 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker";

III. in sub rule (19), clause (i), -

(1) In 'Table 2', for the brackets, letters and figures "Ethanol (E85)/(E100)", wherever they occur, the brackets, letters and figures "Ethanol (E20)/(E85)/(E100)", shall be substituted;

(2) in the 'Notes' given under 'Table 2',

(a) in serial number (4), after the item(h), the following , namely.-

"(i) The reference ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018 as amended from time to time ;

(j) The reference for Hydrogen Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314: 2019 as amended from time to time;"

(b) in serial number (5), after the "item (f), insert the following namely.-

"(g) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018 as amended from time to time;

(h) Specification for commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314: 2019 as amended from time to time;"

(c) after sub-clause (13), the following shall be inserted namely.-

"(14) The CNG/Bio-CNG/HCNG vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 24 and AIS 28 (Revision 1), as applicable, as amended from time to time;

(15) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker";"

IV. in sub rule (20), -

(1) in 'Table 2', for the brackets, letters and figures "Ethanol (E85)", wherever they occur, the brackets, letters and figures "Ethanol (E20)/(E85)/(E100)", shall be substituted;

(2) in the 'Notes' given under 'Table 2',

(a) in serial number (4), after the "item(f), insert the following, namely.-

"(g) The reference ethanol fuel (E100) shall be as specified in Annexure IV-SA;

(h) The reference ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018 as amended from time to time ;"

(b) in serial number (5), after the "item (vii), insert the following, namely.-

"(viii) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018 as amended from time to time;"

(c) after sub-clause (14), the following shall be inserted namely.-

"(15) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker";"

V. in sub rule(22) -

(1) in 'Table 2', for the brackets, letters and figures "Ethanol (E85)/(E100)", wherever they occur, the brackets, letters and figures "Ethanol (E20)/(E85)/(E100)", shall be substituted;

(2) in the 'Notes' given under 'Table 2',

(a) in serial number (7), after the "item(g), insert), the following namely.-

"(h) The reference ethanol fuel (E100) shall be as specified in Annexure IV-SA;

(i) The reference ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018 as amended from time to time;

(j) The reference for Hydrogen Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314: 2019 as amended from time to time;"

(b) in serial number (8), after the "item (f), insert), the following, namely.-

"(g) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018 as amended from time to time;

(h) Specification for commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314: 2019 as amended from time to time;"

(c) after sub-clause (13), the following sub-clauses shall be inserted namely.-

"(14) The CNG/Bio-CNG/HCNG vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 24 and AIS 28 (Revision 1), as applicable, as amended from time to time;

(15) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker";"

VI. "ANNEXURE IV-S [See rule 115-E]" to be renumbered as "ANNEXURE IV-SA [See rule 115]"

[RT-11036/133/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020 and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM